

फा.सं. 6/06/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार,
वाणिज्य कर विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 20 मार्च, 2023

मौखिक सुनवाई के लिए सूचना

विषय: चीन जन गण के मूल या वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की मौखिक सुनवाई ।

1. चीन जनवादी गणराज्य में मूल या वहां से निर्यातित "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)" के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह) के तहत 30.09.2022 को शुरू की गई थी। चोट का निर्धारण) नियम, 1995 (एडी नियम)। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार "निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी हितबद्ध पक्ष या उसके प्रतिनिधि को जांच से संबंधित सूचना को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है लेकिन ऐसी मौखिक सूचना पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब इसे बाद में पुनः प्रस्तुत किया जाए। लिखित रूप में " ।
2. यह आपकी जानकारी के लिए है कि उपर्युक्त जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने **05.04.2023 को अपराहन 2.30 बजे** मौखिक सुनवाई निर्धारित की है। सुनवाई हाइब्रिड मोड में यानी डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (डीवीसी) दोनों के माध्यम से और डीजीटीआर, चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली -110001 के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की तिथि और समय अनुसूची के भीतर लिखित प्रस्तुतियाँ और सुनवाई में व्यक्त किए गए विचारों के उत्तर (गोपनीय और अगोपनीय संस्करण) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया उस व्यक्ति(व्यक्तियों) के नाम(नामों) और ईमेल पते की सूचना दें, जिनसे सुनवाई में भाग लेने की उम्मीद है। डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विवरण शीघ्र ही पंजीकृत इच्छुक पार्टियों के साथ साझा किया जाएगा।
5. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए प्रतिभागी तकनीकी समन्वयक के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। (श्री आसिफ, मोबाइल नंबर +91-9315422937)

हस्ता/-

(राजीव कुमार सोनी)

संयुक्त डीजीएफटी

ईमेल: jd12-dgtr@gov.in

दूरभाष संख्या 011-23408728